

18 पत्रावली भेज हुई। वकुलाय फरिदको
उप./अनुपस्थित। पीकपीन अधिकारी कोरे
✓ कार्य में जयत पत्रावली अधिन
कार्यवाही हेतु दिनांक 25/4/19
को भेज हो।


पत्रावली भेज हुई। वकुलाय फरिदको
उप./अनुपस्थित। पीकपीन अधिकारी कोरे
✓ कार्य में जयत पत्रावली अधिन
कार्यवाही हेतु दिनांक 3/5/19
को भेज हो।

19 पत्रावली भेज हुई। वकुलाय फरिदको
उप./अनुपस्थित। पीकपीन अधिकारी कोरे
✓ कार्य में जयत पत्रावली अधिन
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/5/19
को भेज हो।

17⁰⁵/₁₉
पत्रावली भेज हुई। वकुलाय फरिदको
उप./अनुपस्थित। पीकपीन अधिकारी कोरे
✓ कार्य में जयत पत्रावली अधिन
कार्यवाही हेतु दिनांक 28/05/19
को भेज हो।

28⁰⁵/₁₉
पत्रावली भेज हुई। वकुलाय फरिदको
उप./अनुपस्थित। पीकपीन अधिकारी कोरे
✓ कार्य में जयत पत्रावली अधिन
कार्यवाही हेतु दिनांक 06/11/19
को भेज हो।

5/11/19 वकुलाय उपस्थित/वापस करके
पत्रावली दिनांक 14/11/19 को भेज हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.11.19	<p>पत्रावली कहल हेतु पेशी में ली गयी। पत्रावली में वादी की एक्टरका कहल सुनी गयी। वादी का अनुमोद, ख. नं. 44, 45, 52/97 कुल 0.61 हे. के 1/4 हे. का खेतदार डा. सं. 1 ता 9 के नाम दर्ज भूमि पर, Adverse possession के आदाक पर खेतदारी बोधना का प्राव गयी है।</p> <p>परिवर्तितगण 1 ता 9 का राजीनामा भी पेश किया गया है। Adverse possession के आदाक पर खेतदारी बोधना की आधिकारिता इस न्यायालय में नहीं है। परिवर्तितगण यदि वादी से सहमत हैं तो पंजीयन कार्यालय में एस्तान्तरण दस्तावेज के आदाक पर खेतदारी प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>वादी वादी पंजीयन नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दि. 14.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  14.11.19 (राजेश सिंह) अवकाश जज दिल्ली न्यायालय </p>	

